#### <u>न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बालाघाट(म.प्र.)</u> (<u>पीठासीन अधिकारी—सचिन ज्योर्तिणी</u>)

<u>व्य.कद्भ क्रमांक—RCSA/2600037/2016</u> <u>प्रस्तुति दिनांक—16.06.2016</u> <u>फाईलिंग नं.— RCS-A/101089/2016</u>

- 1— शोभाराम पिता बालिकराम ब्लिल्हार, उम्र 67 वर्ष,
- 2— मु. सम्पता बाई विधवा महेन्द्र राम लिल्हारे, उम्र 60 वर्ष,
- 3— दीपक पिता महेन्द्र राम लिल्हारे, उम्र 40 वर्ष,
- 4— सत्यवान पिता देवराम लिल्हारे, उम्र 50 वर्ष,
- 5— मु. कुसवंती बाई विधवा सेवकराम लिल्हारे, उम्र 63 वर्ष,
- 6— अजीत प्रिता सेवकराम लिल्हारे, उम्र 32 वर्ष,
- 7— राधेश्याम पिता बालिकराम लिल्हारे, उम्र 58 वर्ष, सभी निवासी ग्राम बगदरा, थाना ग्रामीण नवेगांव, जिला बालाघाट

वादीगण

# –ःविरूद्धः-

- 1- श्रीमति झेलाबाई विधवा प्रतापलाल हिरापुरे, उम्र 90 वर्ष,
- 2— तहसीलदार बालाघाट, कार्यालय तहसीलदार बालाघाट
- 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने प्रतिनिधी कलेक्टर बालाघाट, तह. व जिला बालाघाट ......


प्रतिवादीगण

#### \_வாச் 9ா\_

# (आज दिनांक 20 / 10 / 2016 की पारित)

- 1— इस आदेश के माध्यम से वादीगम की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवप्रवसंव (आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— यह अविवादित है कि लुभयपक्ष एक ही मूल परिवार के सदस्य होते हुए आपस में सगे सम्बंधी हैं। विवादित भूमियों के मूल स्वामी मूल पुरूष स्वर्गीय बालिकराम रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद भूमि के राजस्व अभिलेखों में उनके वारसानों के तौर पर वादीपक्ष के साथ ही प्रति०क0—1 का नाम भी बतौर सहस्वामी दर्ज रहा है तथा अपने पृथक बटवारे के लिये प्रति०क0—1 द्वारा वादीगण के विरुद्ध राजस्व प्रकरण कमांक—463—27/2015—16 प्रस्तुत किया गया था, किसमें राजस्व न्यायालय तहसीलदार बालाघाट द्वारा दिनांक 31/05/16 को अंतिम आदेश पारित कर प्रति०क0—1 का आवेदन स्वीकार किया गया है। साथ ही आवेदन में दर्शित वंशावली भी अविवादित है।

3— आवेदन पत्र का सार यह है कि, वादीमूण तथा प्रति०कं01 सगे सम्बंधी है। वे उत्तराधिकार के सम्बंध में हिन्दू विधि से श्रासित होते हैं। मूल पुरूष बालिकराम की दो पित्नयां नर्मदा बाई और चम्पाबाई थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पक्षकारों के आपसी सम्बंध वंशावली में दर्शित है। जो निम्मानुसार है—



4— मूल पुरूष बालिकराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पत्ति का बटवारा वर्ष 1965 में दोनों पत्यों के पाचों पुत्रों के मध्य बराबर—बराबर कर दिया था। जिन पर काबिज होकर पांचो पुत्र भूमि कृषि करने लगे। बालिकराम ने यथा योग्य जेवर तथा नगद देकर अपनी चारो पुत्रियों का विवाह कर दिया था और उन्हें यह बता दिया था कि, पिता की सम्पत्ति में अब उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जाति, रितिरिवाज अनुसार लाना ले जाना करते रहेगें। जिसे सभी पुत्रियों ने स्वीकार किया था। उनकी लोधी जाति की प्रथा अनुसार तत्समय पुत्र को ही पिता को सम्पत्ति प्राप्त होती थी।

पुत्रियां जेवर तथा नगद रूपये लेकर अपना हक त्याग द्वेती थी। वर्ष 1972 में बालिकराम की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 17/03/86 को चारो पुत्रियों प्रति0कं01 झेलाबाई, देलाबाई, देवकी बाई तथा यशोदी बाई ने अपने भाईयों देवराम, महेन्द्रराम, सेवकराम, शोभाराम तथा राधेश्याम के हक में स्वेच्छया सम्मित पत्र स्टाम्प पेपर पर लिखकर जमीन का पूरा बटवारा भाईयों को दे दिया जाना लिख दिया है। सम्मित पत्र के अनुसार भाईयों को हक व हिस्सा सौंपा जा चुका है। सम्मित पत्र के लिये स्टाम्प स्वयं झेलाबाई ने खरीदा था, जिसमें चारो बहनों के अंगूठा निशानी है। साक्षीगण लालचंद तथा सत्यवान के हस्ताक्षर हैं।

चारों बहुनों ने उक्त सम्मति पत्र का अमल किया और हिस्से की मांग नहीं की किन्तू किनोक 30/05/2008 को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने तहसील बालाघाट में धारा 178 म0प्र0भृ0रा0संहिता के तहत बटवारा आवेदन पेश कर ग्राम बगदरा स्थित भूमि ख0नं 121/1, 125/2क, 125/1क, 126/1क, 130/1, 126/2क, 154/1, 149, 370 / 1, 370 / 2 तथा 370 / 3 कुल रकबा 12.51 है0 में से बराबरी का 1 / 9 हिस्सा की मांगनी की। वादीगण ने उक्त आवेदन का इस आशय का जवाब पेश कर सम्मति पत्र के सम्बंध में कथन किये, जो प्रति०कं०1 पर बंधनकारी है। बीस वर्षों से भी अधिक समय से वादीगण का निरंतर कब्जा है अतः विपरीत आधिपत्य के आधार पर भी प्रतिवादी का स्वत्व नष्ट हो चुका है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे। वादीगण ने शपथ पत्र भी पेश किये तथा प्रतिपरीक्षण करना चाहा था किन्त् प्रतिवादी तहसीलदार ने प्रतिपरीक्षण नहीं करवाया और अन्य साक्ष्य पेश करने का अवसर भी नहीं दिया और मनमाने तौर पर पटवारी से फर्द बटवारा बुलवाकर आपत्ति सुने बिना तथा उठाये गूर्य स्वत्व का निराकरण किये बिना, मनमाने तौर पर दिनांक 31/05/16 को ब्रटवारा आदेश पारित कर, प्रति०क01 को विवादित ख0नं0 125/1क, 126/1क तथा, 126/2क में से कुल रकबा 0.520 हैक्टेयर बटवारा में प्रदान कर दी तथा शेष भूमि में अन्य सहखातेदारों का नाम यथावत रखने और अभिलेख दुरूरत करने आदेशित कर दिया गया। उभयपक्ष पर वर्ष 1972 के समय का हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू होगा। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है तथा वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया वाद वादीगण के पक्ष में हैं। सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो स्वत्व न होते हुए भी प्रति०कं०1 को ब्रद्धवारा में भूमि दे दी जायेगी, जो उसे अफरा तफरी कर देगी और वादीगण को बेक्खुल होना पडेगा जिससे उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी अतः मूल वाद के निराकरण तक प्रति०कं02 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/05/16 का कियान्वयन रथिंगत रखने तथा प्रति०कं०1 द्वारा वादीगण के कब्जे में दखल न देने सम्बंधी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

6— प्रतिवादी क्रंठ र ने उक्त आवेदन को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए, प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है जिसका सार यह है कि, वस्तुतः मूल पुरूष बालिकराम की मृत्यु के बाद उनके सभी वारसान अर्थात् पांचो पुत्र एवं चारो पुत्रियों का नाम अभिलेखों में दर्ज कराया गया। प्रतिवादी क्रंठ—1 सिहत अन्य बहनों को भी उनके हिस्सा अनुसार उपज दी जाती रही है किन्तु वर्ष 2006 में वादीगण का प्रतिवादी क्रंठ—1 की पुत्री नुकासा बाई एवं उसके पुत्रों से ग्राम कोसमी स्थित स्म्पित्ति का विवाद होने तथा सिविल वाद प्रस्तुत होने पर वादीगण ने पैतृक सम्पित्ति से हिस्सा देना बंद कर दिया तब उसने विवश होकर हिस्सा पाने का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त सम्बंध में आदेश पारित कर

7— प्रतिवादी क्रं0—2 एवं 3 ने उक्त आवेदन को कंडिकावार अस्वीकार करते हुए, प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है जिसका सार यह है कि, प्रतिउक्ं01 द्वास बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर राजस्व प्र0 कं0—463—27/15—16 पंजीबद्ध कर इश्तेहार जारी करवाया गया। उभयपक्ष को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु वादीगण ने रूचि नहीं दिखायी। दिनांक 25/07/15 को फर्द बटवारा प्रतिवेदन, पंचनामा तथा बी—1 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई और दिनांक 31/03/16 को प्रतिउकं01 का फर्द बटवारा पेश किया गया। उभयपक्ष द्वारा लिखित तर्क पेश करने के बाद, गुणावगुण पर दिनांक 31/05/16 को आदेश पारित किया गया है। वादीगण द्वारा प्रतिउकं02 व 3 को परेशान करने के लिये उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय निरस्तनीय है।

- 8— <u>आवेदन के सम्यक निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है</u>:-
- (1)— क्या प्रथम दुष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में है ?
- (2)— क्या अरथाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को अपूर्णीय क्षेति क्रारित होगी ?
- (3)— क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?

## -: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचनी एवं निष्कर्णः-

9— वाद घोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस आशय की घोषणा चाही गई है कि, विवादित सम्पत्ति के सम्बंध में स्वत्व का निर्धारण मूल पुरूष बालिकराम की मृत्यु वर्ष 1972 में लागू हिन्दू विधि के अनुसार होगा, प्रति०कं०1 तथा अन्य बहनों ने सम्मित्र पत्र दिनांक 17/03/86 लिखकर अपना हक भाईयों को सौंप दिया। पिछले बीस्न वर्षों से भी अधिक समय से प्रति०कं०1 व बहनों का विवादित भूमि में कब्जा न रहने से उनका स्वत्व नष्ट हो चुका है तथा यह कि आदेश दिनांक 31/05/16 अवैध्न होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त घोषणात्मक अनुतोषों के साथ ही यह निषेधाज्ञा चाही गई है कि, प्रति०कं०1 को हक लेने से रोका जावे।

10— वाद में चाहे गये उक्त अनुतोषों के सापेक्ष अवत्योकनीय है कि, वादीगण के अभिवचनों में स्वतः में विरोधाभाष है। एक ओर उन्होंने कृथित सम्मित पत्र के आधार पर स्वयं को सम्पूर्ण भूमियों का स्वत्व प्राप्त हो जाना अभिवचनित किया है, वहीं दूसरी ओर विरोधी आधिपत्य सम्बंधी अभिवचन किये गये हैं।

- 11— पक्षकारों पर किस वर्ष में प्रभावशील हिन्दू विधि लागू होगी यह प्रकरण के गुणावगुण का विषय है, अभिलेख में प्रस्तुत कथित सम्मित पत्र दिनांक 17/03/86 की इबारत के आधार पर उक्त दस्तावेज वस्तुतः अचल सम्पित्त के हक त्याग से सम्बंधित विलेख होना प्रकट होता है। रिजस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार ऐसे दस्तावेज का पंजीयन होना अनिवार्य है किन्तु उक्त दस्तावेज अपंजीयत है।
- 12— तहसीलदार के आदेश दिनांक 31/05/16 की प्रमाणित प्रति के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि, विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में तत्समय वादीगण के साथ ही प्रति०कं01 का नाम भी बतौर सहस्वामी दर्ज रहा है। प्रति०कं01 ने भी अपने जवाब में यह कथन किये हैं कि, मूल पुरूष बालिकराम की मृत्यू के बाद सभी वारसान पांचो पुत्रों एवं चारो पुत्रियों का नाम अभिलेख में दर्ज हुआ था। उसे उसके हिस्से के अनुसार उपज का हिस्सा दिया जाता रहा। उक्त कथनों का कोई खण्डन वादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि, प्रति०कं01 बालिकराम की मृत्यु के बाद वादीगण के साथ विवादित भूमियों की सहस्वामी रही है और इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा उसका आवेदन स्वीकार कर उसे बटवारा प्रदान कर पृथक हिस्सा दिये जाने सम्बंधी आदेश दिनांक 31/05/16 पारित किया गया है।
- 13— तहसीलदार का आक्षेपित आर्दश बटवारा की विषयवस्तु के सम्बंध में पक्षकारों को सहखातेदार पाते हुए, अपनी सक्षम अधिकारिता के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है, जिसे अपील के माध्यम से कोई चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे आदेश के कियान्वयन को श्रेक जाने की स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 क एवं ख के विधिक उपबंधों का उल्लंघन होगा और प्रतिवादी अपने विधिक अधिकार से वंचित हो जायेगी।
- 14— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रकट होता है कि, विक्रादित भूमि के सम्बंध में स्वत्व का प्रश्न भले ही साक्ष्यगत गुणावगुण का विषय होगा किन्तु इस स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण वादीगण के पक्ष में नहीं है।

### -: विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 की विवेच्चना एवं निष्कर्ष:-

- 15— वादीगण ने सम्पूर्ण भूमियों पर स्वयं का एकल आधिपत्य होना बताया है। जबिक प्रति०कं०—1 के अनुसार उसके हिस्से के अंश्रीमाग में प्रति०कं०1 का आधिपत्य है। इस सम्बंध में उभयपक्ष द्वारा परस्पर खण्डनकारी शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः मात्र शपथ पत्रों के आधार पर प्रथमदृष्ट्या कोई निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा। प्रति०कं०—1 की ओर से विवादित भूमि के कथित करते हुए छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रति०कं०—2 खेत में फ्रसल के बीच दर्शित हो रही है किन्तु ऐसे छायाचित्र किसी भी खेत में लिये जा सकते हैं। अतः उक्त फोटोग्राफ को आधिपत्य के सम्बंध में प्रथमदृष्ट्या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।
- 16— प्रति०कं०२ की ओर से भूमि ख०नं० 125/1/क, 126/1/क/2 तथा 126/2क/2 का खसरा वर्ष 2015—16 की प्रति पेश की गई है, जिसमें बतौर भू स्वामी एवं कब्जेदार प्रति०कं०२ का नाम उल्लेखित है, ऐसी स्थिति में म०प्र० भू राजस्व संहिता 2959 की धारा 117 में उपबंधित भू अभिलेखों की प्रविष्टियों की सत्यता सम्बंधी उपधारणा के प्रभाव से विवादित भूमि के उक्त अश भागों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा होना माना जा सकता है किन्तु उक्त उपधारणा विधि की खण्डनीय उपधारणा है।

अवलोकनीय है कि, स्वयं प्रति०कं01 के प्रतिउत्तर की कंडिका—8 में यह कथन हैं कि, उसे उपज का हिस्सा दिया जाता रहा जो वर्ष 2006 से देना बंद कर दिया गया। तब उसने हिस्सा पाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। आगे उसके इस सम्बंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं है कि, पश्चात में उसे किस प्रकार से और किस दिनांक को विवादित भूमि का भौतिक आधिपत्य प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट होता है कि, भले ही प्रति०कं01 के पक्ष में उसे बटवारा में प्राप्त भूमि के राजस्व अभिलेख पृथक कर दिये गये हैं किन्तु मौके पर उसका भौतिक आधिपत्य होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में ली गई उक्त उपधारणा प्रथम दृष्टया खण्डित हो जाती है।

17— उन्हें विवेचन के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट होता है कि, विवादित भूमि पर अकेल वादीगण का कब्जा है किन्तु विचारणीय बिन्दु कुमकि 1 के विवेचन के अंतर्गत प्रथमदृष्ट्या यह पाया जा चुका है कि, प्रति०कं01 भी विवादित भूमियों की सहखातदार रही है। ऐसी स्थित में सहखातदारों में से किसी एक खातदार का सम्पूर्ण भूमि पर आधिपत्य होने पर भी विधि अनुसार प्रथमदृष्ट्या यही माना जावेगा कि, उसका कब्जा सभी खातेदारों की ओर से और सभी खातेदारों के साथ संयुक्त स्वरूप का कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी सहखातदार के विरुद्ध कब्जे के सम्बंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से ऐसे सहखातदार के विधिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होने और इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति कारित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

18— साथ ही यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि, प्रति०कं01 द्वारा बट्कारा सम्बंधी कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विधिसम्यक् अनुक्रम से की जा रही है। ऐसी स्थित में यदि वादीगण के कब्जे में कोई विपरीत प्रभाव होता है तो भी इसे विधिक दृष्टि से क्षित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह प्रकृष्ट होता है कि, अस्थायी निषधाज्ञा जारी किये जाने से प्रतिवादी कं0—1 के विधिक अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित होना सम्भावित होगा। जबिक वादीगण को तहसीलदार के आदेश के निष्पादन के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही किये जाने का विकृत्य उपलब्ध रहेगा। अस्तु अपूर्णनीय क्षित का बिन्दु भी प्रथमदृष्टया वादीगण के प्रक्ष में नहीं है और सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषधाज्ञा जारी न किये जाने के पक्ष में प्रकट होता है।

19— यद्यपि वादीगण की ओर से पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना दिनांक 26/06/16 तथा पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत दिनांक 29/06/16 की छायाप्रति प्रस्तुत कर यह कथन किये गये हैं कि, प्रतिवादी क्रमांक—1 की पुत्री के पुत्र विवादित भूमि पर बलपूर्वक दखल देना चाहते हैं किन्तु स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बंध में उक्त पुत्रगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही उक्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही हुई हो और प्रतिक्कं0—1 को इस बात के लिये दोषी पाया गया हो ऐसा कोई प्रथमदृष्टिया साक्ष्य नहीं है। इसके विपरीत प्रतिक्कं0—1 द्वारा राजस्व प्रकरण प्रस्तुत कर बटवारा प्रदान किये जाने के लिये आवेदन किया जाना प्रथमदृष्टिया यह दर्शित करता है कि, उसके द्वारा विधि सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। अस्तु उक्त दस्तावेजों का भी वादीगण को इस वाद में पृथक से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

20— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि, अस्थायी निषेधाज्ञा सम्बंधी आवेदन के निराकरण हेतु आवश्यक प्रथमदृष्टया प्रकरण, अपूर्णनीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन के तीनों ही बिन्दु वादीगण के पक्ष भ्रें नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन (आई०ए०नं.–1) निरस्त किया जाता है।

इस आदेश का प्रकरण के अंक्रिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 21

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया रायी

हस्ता./-(सचिन ज्योतिश्री)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित। हस्ता. / —

(सचिन ज्योतिषी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,

्ता., तवहार न्याया बालाधाट मिसिंग मि 

Sold State of the State of the